तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुमान पुत्र श्री गफूर जी गॉव रावणीया नाड़ी, पोस्ट–सुमेल, तहसील–रायपुर, जिला पाली बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर प्रथम सूचना अपील संख्या :– 05/2022 जीसीएमएस नं. :– 2022/7 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.02.2022	–: निर्णय :– 1. पत्रावली आज पेश हुई । उभयपक्ष अनुपस्थित। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र दिनांक 16.08.2021 में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर से चाही गई थी। परन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर रेस्पोडेंट से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण ने जरिये पत्रांक/सू.अ./2022/17 दिनांक 28.01.2022 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपतहसीलदार सेन्दड़ा से संबंधित होने से जरिये पत्रांक/भू.अ./लो.सू./21/2087 दिनांक 06.09.2021 के अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उपतहसीलदार सेन्दड़ा को अन्तरित किया गया। जिस पर अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना उपतहसीलदार सेन्दड़ा के पत्रांक/भू.अ./लो.से/2021/195 दिनांक 21.10.2021 के उपलब्ध करवा दी गई तथा वांछित सूचना अपीलार्थी द्वारा दिनांक 12.10.2021 को उपतहसील सेन्दड़ा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त की गई। जिसकी प्राप्ति की प्रति संलग्न है। तथा उक्त पत्र की मूल प्रति भी अपीलार्थी को प्रेषित करते हुए अवगत करा दिया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रायपुर द्वारा अपीलार्थी को प्रेषित सूचना/जवाब के विपरीत अपीलार्थी की ओर से किसी प्रकार की आपति/प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई है। ना ही अपीलार्थी सुनवाई के दौरान उपस्थित हुए है। ऐसी स्थिति में यह माना जाना उचित होगा कि वांछित सूचना अपीलार्थी को प्राप्त हो गई है। तथा वह रेस्पोडेंट के जवाब से संतुष्ट है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। 6. निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। नमित मेहता प्रथम अपीलीय अधिकारी लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली	